[2019] 5 एस. सी. आर 313

राष्ट्रीय वकील शिविर

न्यायिक हस्तांतरण और सुधार और ओ. आर. एस.

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2019 की लिखित याचिका (सी) No.191)

12 मार्च, 2019

[आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक अधिवक्ता 'एम. एन.' ने न्यायाधीशों को डराने और उनका अपमान करने का प्रयास किया।

सर्वोच्च न्यायालय का-आयोजितः यह पहली बार नहीं था जब विचाराधीन अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को डराने और अपमानित करने का प्रयास किया था-न्यायाधिकरणों, बॉम्बे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट था कि उक्त अधिवक्ता ने एक सोची समझी प्रक्रिया शुरू की थी।

इस देश में न्याय के प्रशासन को हराने के लिए आचरण-में न्याय के हित के बारे में अधिवक्ता को नोटिस जारी किया गया

न्यायालय की अवमानना करने के लिए उन पर दंड लगाया जाना-अधिवक्ता अधिनियम, 1961।

भारत का संविधान-कला। 32 - दूसरी समीक्षा-रिट याचिका, संक्षेप में, इंदिरा में फैसले की दूसरी समीक्षा की मांग करती है।

जयसिंह वी. महासचिव और अन्य के माध्यम से भारत का सर्वोच्च न्यायालय। (2017) 9 एससीसी 766-आयोजितः दूसरी समीक्षा याचिका Or.XLVII द्वारा वर्जित है, आर. 5 उच्चतम न्यायालय नियम, 2013-अन्यथा भी, यह तय किया गया कानून है कि एक कला है। 32 याचिका उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ नहीं है-सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013-Or.XLVII, आर. 5.

रिट याचिका खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़नाः 1. जब अदालत के सामने अवमानना की जाती है, तो न्यायाधीशों के हाथ उनकी पीठ के पीछे नहीं बंधे होते हैं। इस न्यायालय की महिमा के साथ-साथ न्याय प्रशासन दोनों की मांग है कि इस तरह के अवमाननापूर्ण व्यवहार से सख्ती से निपटा जाए। सुखदेव सिंह सोढ़ी बनाम में इस न्यायालय का एक प्रारंभिक निर्णय। मुखिया।

न्यायमूर्ति एस. तेजा सिंह सावधानीपूर्वक आगे बढ़े, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि जहां एक न्यायाधीश पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया जाता है, यह उनके लिए उचित होगा।

न्यायालय के समक्ष अवमानना के मामलों में स्वयं मामले से निपटने के लिए न्यायाधीश। [पैरा 9] [334-ई-एफ]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. लैला डेविड (2) v. महाराष्ट्र राज्य के दो विद्वान न्यायाधीशों में इस बात पर मतभेद है कि क्या अदालत की अवमानना की जा सकती है।

अवमानकर्ताओं को नोटिस जारी करने की आवश्यकता के बिना संक्षेप में निपटा जाए, और क्या उन्हें वहां और फिर सजा दी जा सकती है। जे. पसायत ने अभिनिर्धारित किया कि यह वास्तव में न्यायालय का कर्तव्य है। गांगुली, जे. अलग थे। लैला डेविड (6) बनाम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ। महाराष्ट्र राज्य ने यह स्पष्ट करते हुए कानून का निपटारा किया कि पसायत, जे. का दृष्टिकोण सही था।

3. इस तरह का आचरण कठोर दंड का पात्र है। हालाँकि यह न्यायालय अधिवक्ता को दंडित कर सकता था यह आदेश स्वयं, न्याय के हित में, उस पर लगाए जाने वाले दंड के बारे में विचाराधीन अधिवक्ता को नोटिस जारी करता है।

न्यायालय के सामने अवमानना करना। [पैरा 13] [339-बी-सी]

4. जहां तक रिट याचिका का संबंध है, रिट याचिका, संक्षेप में, इंदिरा जयसिंह बनाम में रिपोर्ट किए गए फैसले की दूसरी समीक्षा की मांग करती है। महासचिव और अन्य के माध्यम से भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अन्यथा भी, यह तय कानून है कि अनुच्छेद 32 याचिका इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ नहीं है। इसके अलावा, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) एक ऐसा प्रावधान है जिसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है और

वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम इनाम या अधिकार के रूप में नहीं हो सकता है। [पैरा 15] [339-बी-सी]

सुखदेव सिंह सोढ़ी बनाम। मुख्य न्यायाधीश एस. तेजा सिंह [1954] एस. सी. आर. 454; लीला डेविड (6) बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 10 एससीसी 337: [2009] 15 एससीआर 317; आर. के. आनंद बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एससीसी 106:

[2009] 11 एससीआर 1026-पर निर्भर।

लैला डेविड (2) v. महाराष्ट्र राज्य (2009) 4 एस. सी. सी. 578 [2009] 4 एस. सी. आर. 1171; इंदिरा जयसिंह बनाम। महासचिव और अन्य के माध्यम से भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

(2017) 9 एससीसी 766: [2017] 10 एस. सी. आर. 478; राम निरंजन राय बनाम। बिहार राज्य और अन्य। (2014) 12 एससीसी 11:

[2014] 4 एस. सी. आर. 583-संदर्भित।

उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के प्रस्ताव v. नेदुमपारा मैथ्यूज, 2012 की आपराधिक सुओ मोटू अवमानना याचिका संख्या 9 न्यायिक हस्तांतरण और सुधार के लिए राष्ट्रीय वकील शिविर v.

भारत का संघ

(बॉम्बे हाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2012

अदालत); ललिता मोहन तेजवानी बनाम। विशेष पुनर्प्राप्ति

अधिकारी, 2013 का प्रस्ताव सूचना (एल) सं. 175 लिखित में 2012 की याचिका (एल) संख्या 2772 (दिनांकित आदेश)

20.06.2013 बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित);

इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लि.

वी. फीनिक्स अल्केमी प्रा. लिमिटेड, कंपनी याचिका सं।

423 2010 का आदेश (दिनांक 01.03.2014 द्वारा पारित)

बॉम्बे उच्च न्यायालय); ब्रायन कैस्टेलिनो बनाम। आधिकारिक

एम/एस का परिसमापक। आरटीईसी सिस्टम्स प्रा. लि. लिमिटेड, आधिकारिक

कंपनी में परिसमापकों की रिपोर्ट संख्या 2014 की 347 2010 की याचिका संख्या 452 (आदेश दिनांक 23.12.2014)

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित); ललिता मोहन तेजवानी बनाम. विशेष वसूली अधिकारी और बिक्री अधिकारी,

जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य। , लेखन याचिका

2013 का सं. 2334 (दिनांक 15.03.2017 द्वारा पारित आदेश)

बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ);

आनंद अग्रवाल और अन्र। वी. विलास चंद्रकांत गावकर

और ओआरएस। 2017 की प्रस्ताव (एल) संख्या 706 की सूचना

2017 का वाणिज्यिक मुकदमा संख्या 614 (दिनांकित आदेश)

05.03.2018 बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित)

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 478

संदर्भित किया गया है

पैरा 3,15

[1954] एससीआर 454

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[2009] 4 एससीआर 1171

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

[2009] 15 एससीआर 317

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[2014] 4 एससीआर 583

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[2009] 11 एससीआर 1026

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (2019 का सी. सं. 191)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मैथ्यूज जे. नेदुमपारा, ए. सी. फिलिप, राबिन मजूमदार, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. वर्तमान रिट याचिका में दलीलों के दौरान, श्री मैथ्यूज नेदुमपारा, पेटी की ओर से पेश विद्वान वकील

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि न्यायालय के न्यायाधीश व्यक्तियों को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नामित करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं, क्योंकि वे केवल न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को नामित करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में। यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह का पदनाम इनाम के रूप में दिया जाना चाहिए, श्री नेदुमपारा ने श्री फली एस. नरीमन का नाम लिया। जब अदालत ने उन्हें आगाह किया तो उन्होंने श्री फली एस. नरीमन का नाम फिर से लिया। इसके बाद, अदालत द्वारा यह पूछे जाने पर कि श्री फली एस. नरीमन का नाम लेने की प्रासंगिकता क्या थी, उन्होंने तुरंत ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह केवल तब हुआ जब अदालत में मौजूद अन्य लोगों ने उसे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम लेते हुए सुनने की पुष्टि की, कि उन्होंने इसे सही ठहराने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी विज्ञापन समान स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

2. हमारा विचार है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम लेने का एकमात्र कारण उनके नाम के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है

वर्तमान मामले में, अदालत को डराना और हम में से एक को शर्मिंदा करना है।

श्री नेदुमपारा ने तब इस मामले से असंबंधित विभिन्न बयान दिए। उन्होंने कहा कि, "आपके प्रभुओं के पास अवमानना की भारी शक्तियाँ हैं, और तिहाड़ जेल अभी तक नहीं है।" उन्होंने आगे प्रस्तुत किया

कि वकील न्यायाधीशों की तरह होते हैं और अवमानना से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे कानून द्वारा संरक्षित होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक वकील के खिलाफ कोई मानहानि नहीं हो सकती है, साथ ही एक वकील के खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही भी नहीं हो सकती है, क्योंकि यह वकीलों की स्वतंत्रता को बाधित करेगा, जिसका उन्हें पूरा आनंद लेना चाहिए। ये सभी बयान सीधे न्याय के प्रशासन को प्रभावित करते हैं, और न्यायालय के सामने अवमानना है।

3. यह पहली बार नहीं है जब इस विशेष अधिवक्ता ने इस न्यायालय के न्यायाधीशों को डराने और उनका अपमान करने का प्रयास किया है। वास्तव में, इस विशेष अधिवक्ता की शैली लैटिन उक्ति का हवाला देते हुए बहस करते रहने की है, और जब उसे पता चलता है कि न्यायालय उसके साथ नहीं है, तो वह अपमानजनक होने लगता है। हम यह भी पाते हैं कि इस अधिवक्ता को निराशाजनक मामलों में पेश होने और विवेकाधीन आदेश प्राप्त करने के लिए अदालत को फटकार लगाने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी जाती है, जो कोई भी अदालत अन्यथा देने के लिए तैयार नहीं है।

हमने पाया है कि राष्ट्रीय वकील न्यायिक हस्तांतरण और सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। भारत का संघ

हमारे समक्ष इस अधिवक्ता की अधिकांश उपस्थिति ऐसे मामलों में हुई है जिनमें देनदार लगातार चूक करते रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गिरवी रखी गई संपत्तियों को नीलामी में बेचे जाने के लिए सुरक्षित लेनदारों को सौंपना पड़ता है। यही वह चरण है जब श्री नेदुमपारा को नीलामी बिक्री को किसी तरह स्थगित करने के लिए कहा जाता है। यहां तक कि वर्तमान रिट याचिका भी एक ऐसा मामला है जिसमें इंदिरा जयसिंह बनाम में इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, (2017) 9 एस. सी. सी. 766 पहले ही खारिज किया जा चुका है। इस बात की पूरी जानकारी के साथ कि दूसरी समीक्षा याचिका सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII नियम 5 द्वारा वर्जित है, श्री नेदुमपारा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका के रूप में दूसरी समीक्षा की मांग की है। इसके अलावा,

कहा गया है कि अधिवक्ता पहले से ही एक अधिवक्ता के अनुचित आचरण में लिप्त है, जिसे 2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.26424 में दिनांकित 19.11.2018 के एक आदेश द्वारा देखा गया है, जो नीचे दिया गया हैः

" आदेश

1. आई. ए. नं. 163019 एस. एल. पी. में 2018 का 163020 और 2018 का 164145। (ग) 2018 की सं. 26424 खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता के वकील श्री मैथ्यूज नेदुमपारा 22 अक्टूबर, 2018 को हमारे सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर, 2018 से चार सप्ताह की अवधि के भीतर 1 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। अदालत ने उन्हें 22 अक्टूबर, 2018 से एक सप्ताह की अवधि दी।

आवश्यक भुगतान करें। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया हैः

“ यदि उपरोक्त भुगतान एक सप्ताह के भीतर नहीं किया जाता है, तो विशेष अनुमति याचिका को बिना आगे किए खारिज कर दिया जाएगा। इस न्यायालय का संदर्भ "।

2. एक सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए, इस न्यायालय को आगे संदर्भित किए बिना विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन 14 नवंबर, 2018 को श्री नेदुमपारा ने एक ए. ओ. आर. के साथ पेश होते हुए हमें यह बताए बिना कि एस. एल. पी. पहले ही इस न्यायालय के संदर्भ के बिना खारिज हो चुका है, हमारे सामने उसी मामले का उल्लेख किया। दबाकर

श्री नेदुमपारा ने 22 अक्टूबर, 2018 को एक आदेश प्राप्त किया

14 नवंबर, 2018 को इसी पीठ से कहा गयाः

" आई. ए. सं. 163019/2018-आदेश और आई. ए. में संशोधन के लिए आवेदन के साथ सोमवार, 19 नवंबर, 2018 को सूची बनाएँ।

नं. 163020/2018-निर्देश के लिए आवेदन। "[2019] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. जब यह मामला आज हमारे सामने सूचीबद्ध किया गया था, तो हमने बार-बार श्री नेदुमपारा से पूछा कि उन्होंने 22 अक्टूबर, 2018 के आदेश का खुलासा क्यों नहीं किया, जब 14 नवंबर, 2018 को हमारे सामने इस मामले का उल्लेख किया गया था। इस पर कोई जवाब नहीं आया। हमने तब श्री नेदुमपारा को चेतावनी दी कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले एक वकील के रूप में, उनका प्राथमिक कर्तव्य न्यायालय से कोई भी आदेश प्राप्त करने से पहले न्यायालय को सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना है। हमने उन्हें चेतावनी दी है कि पेश होने वाले वकील का ऐसा अशोभनीय आचरण इस न्यायालय के समक्ष, यदि इस न्यायालय के समक्ष भविष्य में इसी तरह की कोई घटना उत्पन्न होती है, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हम भारी लागत लगाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन ऐसा केवल इसलिए नहीं किया है क्योंकि अपीलकर्ता, जिसके लिए श्री नेदुमपारा उपस्थित होते हैं, पहले से ही प्रतीत होता है

आर्थिक रूप से गंभीर संकट में रहें। "

4. हम यह भी पाते हैं कि श्री नेदुमपारा ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बॉम्बे और खाड़ी उच्च न्यायालय के समक्ष खुद को गलत तरीके से पेश किया है। बे हाई कोर्ट द्वारा पारित कुछ आदेशों में यह परिलक्षित होता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय में अपने स्वयं के प्रस्ताव v. एमपारा मैथ्यूज, आपराधिक सुओ मोटू अवमानना याचिका संख्या 9

18.09.2012 दिनांकित एक आदेश दर्ज किया गयाः

" 1. ..... श्री मैथ्यूज ने न्यायालय की कार्यवाही को बाधित किया है और इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकालने से इनकार कर दिया है कि न्यायालय न्याय का सेवक है और उसे सुनने के लिए बाध्य है। बार या वादी का कोई भी सदस्य इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि मामलों का उल्लेख या उनकी सूची उसकी सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। श्री मैथ्यूज अदालत में विघटनकारी होने के आदी हैं। इस न्यायालय की कई पीठों ने निर्देश दिया है

रजिस्ट्री ने उन पीठों के समक्ष अपने मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया। आज, उन्हें कारण बताने के प्रयासों के बावजूद, श्री मैथ्यूज कार्यवाही को बाधित करने, मामलों को बुलाए जाने से रोकने में लगे हुए हैं। इस आदेश को पारित करने से पहले, जिसे हम अत्यधिक सावधानी के साथ करते हैं, हमने श्री मैथ्यूज को नोटिस पर रखा है कि

यदि न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करना जारी रखता है, तो न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दुर्भाग्य से उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है।

2. ..... यदि बार के किसी सदस्य या मुकदमेबाजी करने वाली जनता को अदालत को अपनी सुविधा के अनुसार किसी मामले को उठाने के लिए मजबूर करने की अनुमति दी जाती है, तो अदालत का सुव्यवस्थित कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित होगा।

न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय वकील शिविर

हस्तांतरण और सुधार v. भारत का संघ

श्री मैथ्यूज कार्यवाही को बाधित करने में लगे रहे हैं और उन्होंने

परामर्श दिए जाने पर ध्यान नहीं दिया।

3. इन परिस्थितियों में रजिस्ट्री को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है

श्री नेदुमपारा मैथ्यूज को कारण दिखाने के लिए, अधिवक्ता ने फोन किया

उसे यह बताने के लिए कि कार्यवाही क्यों नहीं अपनाई जानी चाहिए

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत उनके खिलाफ। नोटिस की सुनवाई उपयुक्त पीठ के समक्ष रखी जाएगी।

कार्य के समनुदेशन के अनुसार।

ललिता मोहन तेजवानी बनाम। विशेष वसूली अधिकारी, नोटिस

ओशन (एल) नहीं। 175 2013 के 2012 की रिट याचिका (एल) संख्या 2772 में, दिनांक 20.06.2013 तक, आपराधिक अवमानना के लिए एक स्वतः संज्ञान नोटिस थाडी बम्बई उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा, निम्नानुसार बताते हुएः

" 5. जब 8 मई 2013 को प्रस्ताव की वर्तमान सूचना बुलाई गई, तो जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी (इसमें प्रतिवादी संख्या 2) की ओर से पेश विद्वान वकील ने श्री ए. एस. ताम्बे का 25 मार्च 2013 को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक,

जो इंगित करता है कि एक व्यक्ति ने खुद को इस न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के रूप में पेश करते हुए श्री ए. एस. तांबे से मोबाइल फोन से बात की जो

पता चलता है कि यह श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा का है।

XXX XXX XXX

" 8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि हलफनामे में कहा गया है कि श्री ताम्बे ने मोबाइल नंबर वाले व्यक्ति के साथ बातचीत की थी अर्थात्ः 9820535428 और दूसरी ओर के व्यक्ति ने उससे कहा कि, "मैं यहाँ (इस न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश का नाम) हूँ, मैथ्यूज मेरे सामने है। अपने वकील से मुझे फोन करने के लिए कहें। ताम्बे के हलफनामे में आगे कहा गया है कि उक्त मोबाइल अधिवक्ताओं-मेसर्स की फर्म का है।

नेदुमपारा और नेदुमपारा, जो याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हैं। 9. उपरोक्त हलफनामे को ध्यान में रखते हुए, 13 जून 2013 को पक्षों को सुनने के बाद, इस अदालत ने सेवा प्रदाताओं-वोडाफोन लिमिटेड और आइडिया सेल्युलर लिमिटेड को तीन सेल नंबरों-9820535428,9819846333 और 8108066202 के कॉल विवरण को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

4 मार्च 2013 और 5 मार्च 2013 के लिए। यह थी जानकारी

यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि श्री के 25 मार्च 2013 के शपथ पत्र में लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं।

ताम्बे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. आज, कॉल विवरण को रिकॉर्ड में रखते हुए, उक्त सेवा प्रदाताओं की ओर से शपथ पत्र दायर किए गए हैं। शपथपत्रों की प्रतियाँ

11. वोडाफोन (इंडिया) लिमिटेड की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार नंबर 9820535428 श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा के नाम से और मोबाइल नंबर 9819846333 श्री संजीव मोहन तेजवानी का है, जो याचिकाकर्ता के बेटे हैं। जबकि आइडिया सेल्युलर लिमिटेड की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार, मोबाइल नंबर 8108066202 को जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, चेंबूर, मुंबई 400 071 में श्री संजय वी. काले के पते पर सदस्यता दी गई है। उत्तरदाता के लिए विद्वान वकील-बैंक बताता है कि मोबाइल नं। 8108066202 वर्तमान में इसका उपयोग उत्तरदाता-बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री ए. एस. ताम्बे द्वारा किया जा रहा है। अधिवक्ता श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा स्वीकार करते हैं कि मोबाइल नं. 9820535428 यह उसका अपना मोबाइल नंबर है। 12. सेवा प्रदाताओं के हलफनामों की सामग्री को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री ए. एस. के हलफनामे में दिए गए बयान।

ताम्बे यदि सही है, तो उस व्यक्ति की ओर से आपराधिक अवमानना होगी जिसने सेल नं. 9820535428 श्री ए. एस.

नेदुमपारा स्वीकार करता है कि यह उसका मोबाइल नंबर है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि यह न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मामला है और अधिवक्ता श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में और महाराष्ट्र राज्य को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए। 13. रजिस्ट्री श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगी कि अदालतों की अवमानना में परिभाषित आपराधिक अवमानना के लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

अधिनियम, 1971। चूंकि, यह न्यायालय केवल एक नोटिस जारी कर रहा है और इस स्तर पर एक नियम जारी नहीं कर रहा है, इसलिए आगे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय वकील शिविर

हस्तांतरण और सुधार v. भारत का संघ

इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी.

निक्स अल्केमी प्रा. लिमिटेड, 2010 की कंपनी याचिका संख्या 423, एक

दिनांक 01.03.2014, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कई समर्पित किए

"श्री मैथ्यूज एमपारा का आचरण, पूर्व निदेशकों के लिए अधिवक्ता" शीर्षक के तहत ग्राफ। इस शीर्ष के नीचे के अंश इस प्रकार हैं:

" 58. जब मैंने श्री नेदुमपारा से कहा कि उनकी बारी होगी

आधिकारिक परिसमापक के अधिवक्ता के बाद बहस करते हुए, वह था

दृढ़ रहे और रखरखाव के इस मुद्दे को उठाने पर जोर दिया। वह अदालत को आक्रामक, अपमानजनक और आक्रामक तरीके से संबोधित कर रहे थे। यह कुछ मिनटों तक चलता रहा, इस दौरान मैं बार-बार उनसे अपनी सीट लेने और अपनी बारी का इंतजार करने का अनुरोध कर रहा था। इस दौरान वे अदालत की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे और अदालत को संबोधित करते रहे और टिप्पणी करते रहे। जो सबसे अनुचित थे और इस प्रभाव के लिए कि उन्हें सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है और उन्हें 'अपमान' करने की आदत थी

अदालत से।

59. मेरे लिए यह स्पष्ट था कि यह और कुछ नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक रोकने की रणनीति थी कि आधिकारिक परिसमापक रिपोर्ट पर मामला आगे न बढ़े। इन शुरुआती कुछ मिनटों में उनका व्यवहार जोरदार, उग्र और अपमानजनक था। दरबार में भीड़ थी और यह लगभग ऐसा था जैसे श्री नेदुमपारा दीर्घाओं में खेल रहे हों, क्योंकि वे जो कह रहे थे उसका इस मामले से या उससे कोई लेना-देना नहीं था।

उसकी रखरखाव की बात मायने रखती है "।

XXX XXX XXX

" 62. अंत में, जब श्री नेदुमपारा को आधिकारिक परिसमापक रिपोर्ट के जवाब में अदालत को संबोधित करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जोर देकर कहा केवल रखरखाव के मुद्दे पर न्यायालय को संबोधित करना

सुरक्षित लेनदारों के कहने पर याचिका जिन्होंने अन्य उपायों को अपनाया था (या जैसा कि उन्होंने इसे "निर्वाचित" कहा था)। सुनवाई के इस हिस्से के दौरान भी श्री नेदुमपारा बेहद अपमानजनक थे और जिस तरह से उन्होंने न्यायालय को संबोधित किया, वह अपमानजनक था। बस।

क्योंकि अदालत चाहती थी कि वह इसे आधिकारिक पर संबोधित करे परिसमापक रिपोर्ट, उन्होंने बार-बार कहा कि कैसे उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उनका लहजा और लहजा आरोप लगाने वाला था, अक्सर उनके सबसे अनुचित सुझाव के संदर्भ में लैटिन मैक्सिम्स में तोड़ते हुए कि वह है

सुना नहीं जा रहा था या उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

63. यह फिर से कुछ मिनटों तक चला जिसके दौरान उन्होंने अदालत से एक भी प्रश्न का उत्तर देने या मामले/अधिकारी के गुण-दोष पर अदालत को संबोधित करने से इनकार कर दिया। परिसमापक की रिपोर्ट जो न्यायालय के समक्ष थी।

64. श्री नेदुमपारा का व्यवहार अवरोधक था और मेरे विचार से न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने और न्यायालय की गरिमा और अधिकार को कम करने का इरादा था। इस तरह की स्थिति में, मेरी राय में, न्यायालय को श्री नेदुमपारा के आचरण पर न्यायालय की अवमानना के रूप में ध्यान देने और उससे संक्षिप्त और तुरंत निपटने का अधिकार होता या न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत इसे 'आपराधिक अवमानना' के रूप में मानने के लिए कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने का निर्देश देने का अधिकार होता, जिसे उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाता।

XXX XXX XXX

" 69. ये निर्णय यह स्थापित करते हैं कि अधिवक्ताओं का आचरण, जैसा कि मेरे द्वारा आदेश के पूर्वगामी पैराग्राफ में वर्णित किया गया है, कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त कारण हो सकता है।

आपराधिक अवमानना के लिए या तुरंत निपटा जाए और

संक्षेप में न्यायालय के समक्ष की गई अवमानना के रूप में।

70. यह कहने के बाद भी, इस मामले में मैंने ऐसा नहीं किया है। यह आदेश श्री मैथ्यू नेदुमपारा के लिए एक सख्त और अंतिम चेतावनी हो।

कि न्यायालय इस आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि भविष्य में इस तरह का आचरण दोहराया जाता है, तो न्यायालय कार्रवाई करने के लिए विवश हो सकता है।

5. इस आदेश की अगली कड़ी के रूप में, श्री नेदुमपारा ने एक आवेदन दायर किया जिसमें उन्होंने अनुरोध किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के उपरोक्त एकल न्यायाधीश को उन मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए जिनमें अधिवक्ता एमपारा एक पक्ष की ओर से पेश होते हैं। इस आवेदन को निपटाया गया था

ब्रायन कैस्टेलिनो बनाम में 23.12.2014 दिनांकित एक आदेश द्वारा। आधिकारिक

एम/एस के डेटर। आरटीईसी सिस्टम्स प्रा. लि. लिमिटेड, 2010 की कंपनी याचिका संख्या 452 में 2014 की आधिकारिक परिसमापक रिपोर्ट 47। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष जारी किए गए मुद्दों के दौरान, एक संकलन था

विद्वान सलाहकारों में से एक द्वारा लिखा गया। यह अनुच्छेद में परिलक्षित होता है।

उक्त आदेश इस प्रकार हैः

" 13. श्री कपाडिया ने एक संकलन प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) इस न्यायालय के एकल न्यायाधीशों और खंड पीठों द्वारा पारित आदेश शामिल हैं, जिसमें न्यायिक सुधार और सुधार के लिए राष्ट्रीय अधिवक्ता शिविर में अधिवक्ता नेदुमपारा के आचरण को निर्धारित किया गया है।

जिन मामलों में वह पेश होता है, (ii) ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मुंबई द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसमें अधिवक्ता नेदुमपारा और/या उनके कनिष्ठ उपस्थित होने वाले किसी भी मामले को नहीं लेने का संकल्प लिया जाता है और (iii)

गंभीर अपराधों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मुंबई द्वारा अधिवक्ता नेदुमपारा के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दायर की गईं। श्री कपाडिया ने दस्तावेजों/आदेशों के उक्त संकलन से निम्नानुसार बताया है:

(i) इस न्यायालय की तीन खंड पीठों और तीन एकल न्यायाधीशों ने उन मामलों में खुद को अलग कर लिया है जहां अधिवक्ता नेदुमपारा पेश हुए हैं।

((ii) ए. एच. जोशी और एम. एल. तहलियानी, जे. जे. की खंडपीठ। 22 मई के आदेश के माध्यम से खुद को अलग करते हुए, 2013 2013 की रिट याचिका (एल) संख्या 1272 में अधिवक्ता नेदुमपारा और उनके मुवक्किल के आचरण को निम्नानुसार दर्ज किया गया है:

" 1. न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में एक शपथ पत्र है -

दाखिल किया।

2. हलफनामे में याचिकाकर्ता ने अपने वकील की राय के रूप में भाषा का उपयोग किया है, जिसमें अनुचितता व्यक्त की गई है

याचिकाकर्ता से सवाल पूछने में अदालत। भाषा प्रारूपण के शिष्टाचार की पूर्ण कमी और अदालत के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाती है जो कि आक्षेप के समान है। 3. चूंकि वादी और वकील अदालत का सम्मान नहीं करते हैं और अभद्र भाषा के साथ पीड़ा व्यक्त करते हैं, इसलिए यह आवश्यक माना जाता है कि इस पीठ को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

मामला। इसलिए हम त्याग करते हैं।

4. उचित न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता।

(iii) 18 सितंबर, 2012 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने अधिवक्ता नेदुमपारा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किए हैं।

(iv) कि 20 जून, 2013 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अधिवक्ता नेदुमपारा के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किए हैं।

(v) कि इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित 9 अप्रैल, 2014 के एक आदेश द्वारा यह देखा गया है कि अधिवक्ता नेदुमपारा ने लापरवाह, गैर-जिम्मेदाराना और अवमाननापूर्ण आरोप [2019] लगाए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेंच और विरोधियों के खिलाफ। अधिवक्ता नेदुमपारा की माफी दर्ज करने के बाद, जिसे 'विलंबित' कहा गया है, खंड पीठ ने पैराग्राफ 13 में व्यक्त किया है कि सभी को एक संदेश जाता है

मेसर्स सहित अधिवक्ता। नेदुमपारा और नेदुमपारा ताकि भविष्य में इस न्यायालय को कुछ भी देखने या कोई कार्यवाही शुरू करने का अवसर न मिले। श्री कपाडिया ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त

टिप्पणियाँ एक प्रयास के संदर्भ में हैं

अधिवक्ता नेदुमपारा के कनिष्ठों ने पीठ के सदस्यों में से एक से उनके आवास पर संपर्क किया और माफी मांगी

इसके बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र संबोधित करते हुए विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाते हुए जिन्होंने अपने आवास पर कनिष्ठों को सुनवाई देने से इनकार कर दिया।

(vi) कि 1 अक्टूबर, 2014 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध को खारिज कर दिया।

नेदुमपारा। (vii) उस अधिवक्ता नेदुमपारा ने भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री को पत्र लिखे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कानून और न्याय मंत्री, विपक्ष के नेता आदि संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ बेबुनियाद, अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं

इस न्यायालय से।

(viii) कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मुंबई (डी. आर. टी.) के तीनों विद्वान पीठासीन अधिकारियों द्वारा 19 मई, 2014 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें यह संकल्प लिया गया था कि अधिवक्ता नेदुमपारा या उनके कनिष्ठों के किसी भी मामले को उनके समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। इस संकल्प को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली स्थिति बन गई है। आज अधिवक्ता श्री मैथ्यूज जे. नेदुमपारा द्वारा बनाया गया

डी. आर. टी. I, II, III के खुले कोर्ट हॉल में अपने कनिष्ठ श्री नवनीत कृष्णन, श्री निशांत, सुश्री रोहिणी और कथित मुवक्किलों के साथ और इस हद तक कि न्यायाधिकरण का सुचारू संचालन रुक गया है और न्याय वितरण प्रणाली बाधित हो गई है। उन्होंने स्वेच्छा से और जानबूझकर गुप्त उद्देश्य के साथ खुले न्यायालय में इस परिदृश्य को बनाया है। न्यायाधिकरण की गरिमा और विश्वास को कम कर दिया गया है और इसके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को

न्यायाधिकरण को अपमानित किया गया है।

न्यायिक सुधार और सुधार के लिए राष्ट्रीय वकीलों के शिविर के पीठासीन अधिकारी v. भारत का संघ

न्यायाधिकरणों को अपने कक्षों में सेवानिवृत्त होना पड़ता है और इस संबंध में डी. आर. टी. I, मुंबई के पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हम आशंका जता रहे हैं कि इस तरह की खराब और अशांत स्थिति फिर से पैदा हो सकती है ऐसा होता है और न्यायाधिकरणों का कार्य बाधित हो सकता है। स्थिति के आयाम और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने महसूस किया कि इस स्थिति को संकल्प लेने से बदला जा सकता है कि हमें उन मामलों को नहीं उठाना चाहिए जिनमें उपरोक्त अधिवक्ता लगे हुए हैं। वादी उन मामलों में अन्य वकीलों को शामिल कर सकते हैं जिनमें उपरोक्त

अधिवक्ता लगे हुए हैं। इस बीच रजिस्ट्री को उन मामलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है जिनमें उपरोक्त वकील लगे हुए हैं और अपने मामलों को न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं रखने का निर्देश दिया जाता है।

इस प्रस्ताव को जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाए।

इस प्रस्ताव की प्रति माननीय को भी प्रेषित की जाती है। अध्यक्ष, डी. आर. ए. टी. मुंबई आवश्यक जानकारी के लिए और

आवश्यक है।

यह तारीख 19 मई, 2014 है।

(ix) कि अधिवक्ता नेदुमपारा द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों का आरोप लगाते हुए डी. आर. टी., मुंबई द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई है।

इस अनुच्छेद को पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि श्री एमपारा को न्यायाधिकरण के सदस्यों को आतंकित करने और कई न्यायाधीशों के समक्ष अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समान भाषा का उपयोग करने की आदत है।

बे उच्च न्यायालय। इसके बाद 23.12.2014 दिनांकित आदेश में कहा गयाः

" 33. वर्तमान समय में, न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालयों के समक्ष बड़ी संख्या में विवाद लाए जाते हैं। इन मामलों में शामिल मौद्रिक दांव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अन्य मामलों में, पक्षों की व्यक्तिगत स्थिति शामिल होती है, और ये मामले हमेशा भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। वादियों की अपने अधिवक्ताओं पर माँगें बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं। कुछ वकीलों के साथ कई बेईमान/हताश वादी, जो उतने ईमानदार नहीं हैं जितना उनसे उम्मीद की जाती है, एक न्यायाधीश से बचने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं जिसे वे असुविधाजनक या प्रतिकूल मानते हैं या भ्रमित करते हैं।

कार्यवाहियों को जारी करना या विलंबित करना और न्याय के मार्ग को विफल करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वे न्यायाधीशों की आलोचना करने का प्रयास करते हैं, इस इरादे से न्यायाधीशों पर अनावश्यक आक्षेप लगाते हैं कि इस तरह से हमला किए गए न्यायाधीश मामले को छोड़ देंगे। एक न्यायाधीश जिस पर [2019] 5 एस. सी. आर. की बौछार की जाती है।

उनके खिलाफ की गई आलोचनाएँ/आक्षेप निराधार हैं, बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय देने की उनकी शपथ के लिए सच नहीं होंगे। मेरे विचार में, एक न्यायाधीश अपने कर्तव्य में विफल होगा यदि वह कठिन परिस्थितियों से बचकर या तुष्टिकरण के मार्ग का पालन करके बार के सदस्यों या जनता के सदस्यों के बीच लोकप्रिय बनने का प्रयास करता है। एक न्यायाधीश बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय देने के लिए न्याय स्वीकार करता है और किसी भी प्रकार की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए नहीं। पुनः, वह अपनी शपथ के प्रति सच्चा नहीं होगा यदि उसे लगता है कि किसी वकील या वादी का सामना करने के बजाय किसी मामले से खुद को अलग करना सुविधाजनक है। जो उसकी आलोचना करके या उस पर ऐसे आरोप लगाकर उसकी नींद उड़ा देता है जो पूरी तरह से गलत और असत्य हैं। इस संबंध में, ट्रायोडोस बैंक एन. वी. बनाम डॉब्स, [(2005) ई. डब्ल्यू. सी. ए. 468] के मामले में की गई टिप्पणियां उपयुक्त हैं:

" यह हमेशा एक ऐसे न्यायाधीश के लिए लुभावना होता है जिसके खिलाफ आलोचना की जाती है कि वह आगे की कार्यवाही नहीं सुनना पसंद करेगा जिसमें आलोचक शामिल है। यह उस मार्ग को अपनाने के लिए लुभावना है क्योंकि न्यायाधीश को पता चल जाएगा कि यदि निर्णय उसके खिलाफ जाता है तो आलोचक के शिकायत की भावना के साथ जाने की संभावना है। सही या गलत रूप से एक वादी जिसे अपने मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश पर विश्वास नहीं है, वह महसूस करेगा कि अगर वह हारता है, तो उसके साथ किसी तरह से भेदभाव किया गया है। लेकिन एक न्यायाधीश के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह खुद को अलग करने के प्रलोभन का विरोध करे क्योंकि ऐसा करना अधिक आरामदायक होगा। इसका कारण यह है कि-यदि न्यायाधीशों को जब भी कोई वादी खुद को अलग करना था, चाहे वह एक प्रतिनिधित्व वाला वादी हो या व्यक्तिगत रूप से एक वादी।

- उनकी आलोचना की (जो कभी-कभी नहीं होता है) कभी-कभी) हम जल्द ही उस स्थिति में पहुँच जाएँगे जिसमें वादी अपने मामलों की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों का चयन करने में सक्षम थे, केवल उन सभी न्यायाधीशों की आलोचना करके जो वे नहीं चाहते थे

उनके मामले को सुनने के लिए। एक वादी के लिए न्यायिक के लिए राष्ट्रीय अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करना आसान होगा।

हस्तांतरण और सुधार v. भारत का संघ

एक ऐसी स्थिति जिसमें एक न्यायाधीश ने खुद को अलग करने के लिए बाध्य महसूस किया

केवल इसलिए कि उनकी आलोचना की गई थी-चाहे वह आलोचना उचित थी या नहीं।

माननीय उच्चतम न्यायालय की भाषा इस न्यायालय से बचना, मुद्दों को भ्रमित करना, कार्यवाही में देरी करना और न्याय के मार्ग को विफल करना है। इसलिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है। मैंने श्री कपाड़िया द्वारा अपने तर्क के समर्थन में जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उनके संकलन से निपटने का फैसला नहीं किया है। इसके बजाय मैं इसमें शामिल होऊंगा। श्री चिनॉय, विद्वान न्यायमित्र, अधिवक्ता नेदुमपारा को दूसरों के साथ दोष खोजने से पहले आत्मनिरीक्षण करने और खुद में दोष खोजने की सलाह देते हैं। मैं एक सच्ची आशा व्यक्त करते हुए समाप्त कर सकता हूं कि अधिवक्ता नेदुमपारा द्वारा इस न्यायालय को दिया गया आश्वासन कि वह श्री अस्पी चिनॉय की सलाह को दिल से लेते हैं, कि वह जहां भी गलती करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे और खुद को सुधारेंगे।

सही भावना में पूरा हुआ "।

6. ललिता मोहन तेजवानी बनाम। विशेष वसूली अधिकारी और अधिकारी, जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य। , 2013 की रिट याचिका 2334, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ,

दिनांकित 15.03.2017, निम्नानुसार अभिलिखित हैः

" 3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री नेदुमपारा ने जवाब दिया कि वह अदालत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता के लिए "डोमिनस लिटिस" की सुनवाई की जानी चाहिए। हमने श्री नेदुमपारा को बहस करने से नहीं रोका था, बल्कि हम चाहते थे कि वे

न्यायालय के सामने अवमानना। इतना ही नहीं, बल्कि न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में उनका व्यवहार भी अत्यधिक आपत्तिजनक था। श्री. नेदुमपारा ने न केवल न्यायालय में एक दृश्य बनाया, बल्कि प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को गाली भी दी। 1 और 2. वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान वकील को बाधित किया। 1 और 2 और फिर से अदालत के प्रति अपमानजनक था, और जोरदार रूप से जोर दिया कि उसे सुना जाए और उसे न्यायालय के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

जब हमने बताया कि बुनियादी मुद्दों पर हमारे प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है ताकि आगे की सुनवाई की जा सके, तो श्री नेदुमपारा अदालत से बाहर चले गए और फिर वापस नहीं आए।

5. हम पाते हैं कि आज अदालत में जो हुआ वह केवल सबसे अधिक नहीं है दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन अत्यधिक आपत्तिजनक न्यायिक कार्यवाही की गंभीरता और पवित्रता को प्रभावित करता है। श्री का आचरण।

नेदुमपारा ने न केवल न्यायालय की गरिमा को बल्कि न्याय प्रशासन के हित को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। हम देख सकते हैं कि न्यायालय का गंभीर कार्य न्याय प्रदान करना है।

कानून के अनुसार और इसलिए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि

न्यायालय के भीतर कार्यवाही हमेशा गरिमापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से आयोजित होने की उम्मीद की जाती है। न्यायालय के वकील से न्यायालय का एक जिम्मेदार अधिकारी होने की अपेक्षा की जाती है और यदि श्री नेदुमपारा की ओर से ऐसा अवमाननापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

गम्भीरतापूर्वक निपटाए जाने पर, यह न्यायालय की गरिमा को नष्ट कर देगा और न्यायालय की महानता को नष्ट कर देगा जिससे न्यायालय की संस्था की प्रभावशीलता में जनता का विश्वास कम हो जाएगा। श्री नेदुमपारा का यह आचरण, हमारी राय में, न्यायालय की घोर अवमानना है और इसलिए, यह आवश्यक है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाए।

6. हम, तदनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 और अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिवक्ता श्री मैथ्यू नेदुमपारा को नोटिस जारी करते हैं, जो दो सप्ताह के बाद वापस किया जा सकता है। श्री नेदुमपारा को कारण बताने का निर्देश दिया जाता है कि उनके खिलाफ न्यायिक आयोग के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

हस्तांतरण और सुधार v. भारत का संघ

भारत और अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत उनके आचरण और व्यवहार पर जैसा कि हमने ऊपर विस्तार से उल्लेख किया है।

7. श्री नेदुमपारा आनंद वाल और अन्र में 05.03.2018 पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक एड एकल न्यायाधीश द्वारा पारित एक और आदेश में शामिल हैं। वी. विलास चंद्रकांत गांवकर और अन्य। , नोटिस दें। 2017 के वाणिज्यिक वाद सं. 614 में 2017 की सं. 706। द.

निम्नलिखित रूप में कहते हैं:

" 1. इस समय न्यायपालिका बहुत गंभीर प्रकृति की चुनौतियों में उलझी हुई है, शायद पहले कभी नहीं। यह देखा जा रहा है

कि कुछ वादियों और उनके अधिवक्ताओं के बीच, वस्तुतः

झूठे बयान देने में कोई डर या हिचकिचाहट नहीं और

न्यायालय के समक्ष गलत निरूपण, जिससे किसी भी और सभी परिस्थितियों में न्यायपालिका को इस तरह के अनैतिक और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार के लिए शून्य सहिष्णुता के साथ निपटा जाना चाहिए।

2. अदालत की गरिमा और सम्मान के साथ-साथ इसकी निर्धारित प्रक्रियाओं का कुछ वादियों द्वारा बेरहमी से उल्लंघन किया जा रहा है जो अदालत को नीचा दिखाने और उसकी निंदा करने के लिए गलत और अनुचित तरीकों का उपयोग कर रहे हैं।

अधीनस्थ का अर्थ है अनुकूल आदेशों को सुनिश्चित करना और उनके उनके द्वारा स्थापित या बचाव किए गए मुकदमे में परिणामी सफलता।

3. ऐसा लगता है कि कुछ अधिवक्ता उस आचार संहिता को भूल गए हैं जो सभी अधिवक्ताओं को आदेश देती है कि वे पहले न्यायालय के अधिकारी हैं और उसके बाद ही अपने मुवक्किलों के अधिवक्ता हैं। यह दुखद है कि ऐसे अधिवक्ता अनैतिक लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं।

उनके मुवक्किलों के दुस्साहस, अक्सर अपने मुवक्किलों की बेईमान प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, न्यायपालिका पर गंभीर दबाव डालते हैं, और दुर्भाग्य से पूरी न्यायिक प्रणाली को बदनाम करते हैं। यह एक द्वेषपूर्ण और घृणित चक्र बन गया है जिसमें दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले बेईमान मुकदमेबाज अनैतिक अधिवक्ताओं, [2019] 5 एस. सी. आर. की तलाश करते हैं।

जो भारी शुल्क और समान नए और बेईमान ग्राहकों को आकर्षित करने के प्रलोभन के लिए, आसानी से इस अगस्त पर निर्धारित सभी नैतिकता और आचार संहिता की अवहेलना और/या भूल जाते हैं। पेशा. यह भारी मन के साथ है कि अदालतें कभी-कभी इस बात पर ध्यान देती हैं कि मुवक्किलों को अच्छे और ईमानदार अधिवक्ताओं की जगह बेईमान वकीलों को लेने में कोई संकोच नहीं होता है, जो केवल अपने मुवक्किलों के लिए अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक बेईमानी करते हैं।

4. वर्तमान मामला और प्रतिवादी संख्या 1/आवेदक का आचरण उपरोक्त टिप्पणियों की दृढ़ता से पुष्टि करता है। द. प्रतिवादी नं. 1 श्री विलास चंद्रकांत गाओकर ने पूरे समय

उनके मामले की सुनवाई, उपस्थित रहे और अपने वकील के साथ-साथ रिकॉर्ड पर अधिवक्ता के साथ अदालत के समक्ष पेश हुए। उन्होंने संबंधित मुद्दों को हल करने में इस न्यायालय की सहायता ली।

मुक़दमे को, उसके अनुसरण में उपक्रम दिए, सहमति आदेश प्राप्त किए और उसी के अनुरूप कार्य भी किया। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने द्वारा दिए गए वचनों में से एक का उल्लंघन किया और उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के कारण, उसने चतुराई से और जल्दी से अपने अधिवक्ताओं (जिन्हें पहले ही बदल दिया गया था) को बदल दिया और वकील श्री मैथ्यू नेदुमपारा को जानकारी दी, जिन्होंने बदले में उन्हें इस प्रस्ताव की सूचना दायर करने की सलाह दी। प्रस्ताव की इस सूचना में उन्होंने कहा है कि इस न्यायालय द्वारा पारित पिछले सभी आदेश उन कारणों से अमान्य हैं जो उनके मुवक्किल श्री विलास चंद्रकांत गावकर की जानकारी के लिए पूरी तरह से झूठे और बेईमान हैं।

5. यह दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण नोटिस ऑफ मोशन निर्धारित करता है/आरोप लगाता है इस न्यायालय के खिलाफ पूरी तरह से निराधार और अवमाननापूर्ण आरोप, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई को दरकिनार करने के लिए केवल एक छल है। अवमानना कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए इस न्यायालय को डराने और हेरफेर करने का यह निंदनीय प्रयास कड़ी से कड़ी निंदा की मांग करता है। दुर्भावनापूर्ण इरादे को छिपाने के प्रयास में, जो स्पष्ट और स्पष्ट है, वादी श्री विलास चंद्रकांत गाओकर ने बेईमानी से/गलत तरीके से दोहराया है।

आवेदन कि वह न्यायालय को सर्वोच्च सम्मान देता है और इसकी अखंडता का सम्मान करता है। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि मेरे सामने पहले के एक मामले में, जिसमें श्री मैथ्यू नेदुमपुरा एक पक्ष की ओर से पेश हुए, वह बार-बार दोहराने के बाद कि वह न्यायालय को सर्वोच्च सम्मान और न्यायिक के लिए राष्ट्रीय अधिवक्ता शिविर में रखते हैं।

हस्तांतरण और सुधार v. भारत का संघ

देश में व्यवस्था। न्यायालयों को न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए झूठे और तुच्छ आरोपों और पूरी तरह से आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण और बेईमान आरोपों से भयभीत हुए बिना तेजी से और दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। XXX XXX XXX

फिर से, प्रतिवादी नंबर 1 को पता है कि उसके पास है

के समर्थन में शपथ पत्र में गलत और गलत बयान दिए गए उनके उपरोक्त प्रस्ताव के नोटिस और उनके पहले के अधिवक्ता उनके बेईमान रुख का समर्थन नहीं करेंगे, उन्होंने अपने अधिवक्ताओं को बदल दिया है और

श्री मैथ्यू नेदुमपारा के माध्यम से बेईमानी से तर्क दिया गया कि यह वादी के कहने पर था कि इस न्यायालय ने दर्ज किया कि सहमति से मामले को आंशिक सुनवाई के रूप में माना जाए, और उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी। हालाँकि यह सच है कि जून, 2017 से मेरा नियमित कार्यभार वाणिज्यिक मामलों से संबंधित नहीं था, एक बयान जो 30 मामलों के निपटारे को दर्शाता है जो अंततः निपटाए गए थे और शेष मामले जिन्हें भाग के रूप में सुना और माना गया था।

मुझे, पक्षों की सहमति से अनुभाग अधिकारी, सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया था जिसे बाद में उन्हें सौंप दिया गया था

पंजीयक, न्यायिक-I, जिन्होंने इसे विद्वान मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया। विद्वान मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए उक्त बयान में, 5 जून, 2017 को न्यायालय के फिर से खुलने के बाद उपरोक्त मामले में निर्धारित तिथियों सहित, आंशिक सुनवाई के रूप में माने जाने वाले मामलों की सुनवाई के लिए मेरे द्वारा निर्धारित तिथियों का भी उल्लेख किया गया है। अदालत के फिर से खुलने के बाद, प्रतिवादी संख्या। 1 5 तक, अपने अधिवक्ताओं के साथ, सुनवाई की 12 अलग-अलग तिथियों पर मेरे सामने पेश हुए और बिना किसी पक्ष या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के बिना मामलों में मेरे द्वारा कई आदेश पारित किए गए। जैसा कि पहले कहा गया है, यह केवल तभी होता है जब प्रतिवादी संख्या 1 [2019] 5 एस. सी. आर. करना चाहता था।

अपने इस वचन से पीछे हटें कि उन्होंने अपने पहले के वकीलों को बरी कर दिया जो मामले में सही और सही तथ्यों से अवगत थे और इसके बजाय श्रीमती रोहिणी अमीन और श्री मैथ्यू को जानकारी दी। नेदुमपारा तथ्यों को दबाकर, और उन आधारों पर उपरोक्त आवेदन करें जो उनके ज्ञान के लिए झूठे और बेईमान हैं।

19. 26 अप्रैल, 2017 के आदेश के बाद, प्रतिवादी सं. 1 5 तक, जिस तरीके से मामला आगे बढ़ा है, वह वादी द्वारा अपने शपथ पत्र में विस्तार से निर्धारित किया गया है-जवाब में और इस प्रस्ताव की सूचना की सुनवाई में उनकी प्रस्तुतियों में। यही बात आगे भी कही गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने प्रत्युत्तर में अपने आरोपों को दोहराया है।

XXX XXX XXX " 49. जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रतिवादी संख्या 1 को इस बात की जानकारी थी कि

तथ्य यह है कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और गलत हैं। वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पहले के वकील अदालत के खिलाफ आरोप लगाने के उनके बेईमान मंसूबों में केवल इसलिए पक्षकार नहीं होंगे क्योंकि वे 12 मई, 2017 के आदेश में दर्ज अपने उपक्रमों से बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने वकील को बदल दिया और श्री मैथ्यू नेदुमपारा को पेश होने के लिए कहा।

उपरोक्त प्रस्ताव की सूचना में उनकी ओर से, इस न्यायालय के खिलाफ झूठे और निंदनीय आरोप लगाते हुए।

50. ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, श्री नेदुमपारा द्वारा भरोसा किए गए मामले कानून किसी भी तरह से उनकी सहायता नहीं करते हैं। जैसा कि यहां ऊपर दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों में कहा गया है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिए गए वचन उस पर बाध्यकारी हैं और उसे उसी पर वापस जाने से रोक दिया गया है।

51. इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता हैः

(i) उपरोक्त प्रस्ताव की सूचना को खारिज कर दिया जाता है।

(ii) प्रतिवादी संख्या 1 को दो सप्ताह की अवधि के भीतर वादी को Rs.10 लाख की अनुकरणीय लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

आज "। न्यायिक सुधार और सुधार के लिए राष्ट्रीय वकील शिविर v. भारत का संघ

8. इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि श्री नेदुमपारा ने महसूस किया

यह आदेश पारित करने वाले बंबई न्यायालय के एकल न्यायाधीश के खिलाफ अपने नाम पर 2018 की रिट याचिका (एल) संख्या होने के नाते एक रिट याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार, उक्त एकल न्यायाधीश को उक्त याचिका में एकमात्र प्रतिवादी बनाया गया है। उक्त याचिका में की गई प्रार्थनाएँ दिनांकित 26.07.2018 आदेश के पैराग्राफ 2 में दी गई हैं। याचिका में यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह विचारणीय नहीं है। अनुच्छेद 2

याचिका इस प्रकार हैः

" 2. विद्वत न्यायाधीश (यहाँ प्रतिवादी), जिन्होंने उक्त प्रस्ताव की सूचना को लिया है, ने 05/03/2018 पर सुनाए गए निर्णय के माध्यम से उक्त विलास गाओकर द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 10,00,000 / - उक्त विलास गाओकर पर। हालाँकि, प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकार करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के बारे में कुछ टिप्पणियां कीं जो याचिकाकर्ता के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है।

निम्नलिखित राहतों की मांगः

ए। यह घोषणा करना कि वह नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का न्यायिक आदेश द्वारा उल्लंघन किया जाता है, वह सभी कानूनी उपायों, सामान्य कानून, न्यायसंगत और घोषणात्मक, मुआवजे और हर्जाने का हकदार है, इसलिए भी, इस तरह की आपराधिक कार्रवाई का भी हकदार है।

विधायिका, कार्यपालिका और साथी नागरिकों के हाथों उल्लंघन, और अन्यथा मान लेना भाग लेगा।

न्यायमूर्ति कथावाला की टिप्पणियों में, जो उनकी पीठ के पीछे प्रस्तुत की गई है, वह स्पष्ट रूप से झूठी और मानहानिकारक है। यह मानते हुए भी कि उक्त अवलोकन बिना किए गए थे

कोई भी गलत या दुर्भावनापूर्ण इरादे।

सी। यह घोषणा करना कि जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका और उच्चतर न्यायपालिका के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 13 (2) में निहित निषेध का संबंध है और यह कि उच्च न्यायपालिका भी आती है

अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" के दायरे में

अधीनस्थ न्यायपालिका।

डी। रुपये का मुआवजा देना। 1 / - हर्जाना के रूप में, हालांकि आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता को नुकसान हुआ

न्याय के हाथों दिनांकित 05.03.2018 पर ए को प्रदर्शित करें

कथावाला अपूरणीय है और पर्याप्त रूप से नहीं हो सकता है।

धन के संदर्भ में क्षतिपूर्ति।

ई. उपरोक्त राहतों (ए) से (डी) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उन्हें आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता को दीवानी अदालत में भेज दिया जाए।

उस में निहित उपायों को लागू करने के लिए, उसका

पूर्व पी1 के आधार पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है

न्यायमूर्ति कथावाला, प्रत्यर्थी नं। 1 ऊपर।

एफ. कोई अन्य आदेश जैसा कि यह माननीय न्यायालय उचित समझे

न्याय का हित "।

यह स्पष्ट है कि प्रार्थना (बी), (डी) और (ई) स्पष्ट रूप से अपमानजनक हैं।

और इस देश के एक प्रमुख उच्च न्यायालय द्वारा न्याय के प्रशासन को रोकने का प्रयास। यदि वकील उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक रूप से की गई टिप्पणियों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ रिट याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त साहसी हो सकते हैं, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाती है। श्री के व्यवहार को देखते हुए न्यायाधिकरणों, बंबई उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष नेदुमपारा, यह स्पष्ट है कि उक्त अधिवक्ता ने एक ऐसे आचरण की शुरुआत की है जो इस देश में न्याय के प्रशासन को पराजित करने के लिए सोचा गया है।

9. जब अदालत के सामने अवमानना की जाती है, तो न्यायाधीशों के हाथ उनकी पीठ के पीछे नहीं बंधे होते हैं। इस न्यायालय की महिमा भी

सावधानीपूर्वक कार्यवाही की, लेकिन यह स्पष्ट किया कि जहां किसी न्यायाधीश पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया जाता है, वहां न्यायाधीश के लिए यह उचित होगा कि वह अदालत की अवमानना के मामलों में स्वयं मामले से निपटे। इस अदालत ने कहा कि कानून इस प्रकारः

" हालाँकि हम यह जोड़ना चाहते हैं कि हालाँकि हमारे पास आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है

इस प्रकार की मूल याचिका में स्थानांतरण हम न्याय के सामान्य सिद्धांतों पर वांछनीय मानते हैं कि एक न्यायाधीश जिस पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया है, उसे यथासंभव अवमानना मामले की

सुनवाई नहीं करनी चाहिए, जो उस हद तक व्यक्तिगत रूप से संबंधित है। यह तब होता है जब हमला व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ नहीं होता है।

हम न्यायिक हस्तांतरण और सुधार के लिए राष्ट्रीय अधिवक्ता शिविर नहीं लेते हैं। भारत का संघ

कोई भी सामान्य नियम निर्धारित करें क्योंकि ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ यह असंभव है, उदाहरण के लिए एक अदालत में जहां केवल

एक या दो न्यायाधीश और दोनों पर हमला किया जाता है। अन्य मामले भी हो सकते हैं

उत्पन्न होता है जहाँ न्यायाधीश के लिए सौदा करना अधिक सुविधाजनक और उचित होता है

स्वयं मामले के साथ, उदाहरण के लिए एक अवमानना में क्यूरी। हम बस इतना कह सकते हैं कि इसे समझदारी पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

स्वयं न्यायाधीशों में से जो, हमें विश्वास है, सांत्वना देंगे

स्वयं उस निष्पक्ष गरिमा और शिष्टाचार के साथ जो

उनके उच्च पद के लिए उपयुक्त होगा और अक्सर उद्धृत उक्ति को ध्यान में रखेगा

कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया जाता हुआ भी देखा जाना चाहिए

सभी संबंधित और विशेष रूप से एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जो जहाँ तक मानवीय रूप से संभव है, हमेशा एक भावना दी जानी चाहिए

विश्वास है कि वह एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और निष्पक्ष परीक्षण प्राप्त करेगा

ऐसे न्यायाधीश जिनका अपने मामले में कोई व्यक्तिगत हित या सरोकार नहीं है। " "

(पीपी में। 464-465)

(जोर दिया गया)

10. लैला डेविड (2) v. महाराष्ट्र राज्य, (2009) 4 एससीसी

578 , दो विद्वान न्यायाधीशों ने इस बात पर मतभेद व्यक्त किया कि क्या अदालत के सामने अवमानना से संक्षिप्त रूप से निपटा जा सकता है, अवमानना करने वालों को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और क्या उन्हें वहां और फिर सजा दी जा सकती है। जे. पसायत ने अभिनिर्धारित किया कि यह वास्तव में न्यायालय का कर्तव्य है। गांगुली, जे. अलग थे। लैला डेविड में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

(6) वी. महाराष्ट्र राज्य, (2009) 10 एस. सी. सी. 337 ने कानून का निपटारा किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जे. पसायत का दृष्टिकोण कानून में सही था। यह न्यायालय

आयोजितः

" 28. जहाँ तक अवमानना के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही की बात है

संबंधित, हमारा विचार है कि अरिजीत पसायत, जे. ठीक थे।

एक संक्षिप्त आदेश पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर,

के संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के प्रावधानों के लिए

भारत। यद्यपि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 14,

आपराधिक मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है अदालत के सामने अवमानना, यह अदालत को बाधित नहीं करता है

संक्षिप्त कार्यवाही का सहारा लेने से जब एक जानबूझकर और जानबूझकर आपत्तिजनक घटना उनकी आंखों के सामने होती है

भारत के लिए महान्यायवादी जो उस समय भारत के महान्यायवादी थे भारत।

29. जबकि, जैसा कि गांगुली, जे. ने बताया, यह एक वैधानिक आवश्यकता और एक हितकारी सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति की निंदा नहीं की जानी चाहिए।

30. अदालत कक्ष में हुई घटना की अध्यक्षता की पसायत द्वारा, जे. अदालत कक्ष की सीमा के भीतर था और बड़ी संख्या में लोगों द्वारा देखा गया था और डॉ. सरिता पारिख द्वारा जूते फेंकने की बात भी स्वीकार की गई थी, जो बिना

अपने आचरण के लिए कोई खेद व्यक्त करते हुए वह जो उसके पास था उसके साथ खड़ी रही

किया और अन्य अवमानकों द्वारा समर्थित किया गया। इस तरह के प्रवेश के आलोक में, पसायत, जे.

इसे दोष नहीं दिया जा सकता है।

XXX XXX XXX " 35. न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 14 निस्संदेह

नोटिस जारी करने और एक अवसर पर विचार करता है अवमानकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए नोटिस में आरोपों का जवाब देना

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। हालाँकि, जहाँ तत्काल प्रकृति की कोई घटना विद्वान न्यायाधीशों की उपस्थिति और दृष्टि के भीतर होती है, वही न्यायालय के सामने अवमानना के बराबर होती है और घटना के समय ही इससे निपटने की आवश्यकता होती है। न्यायालयों की गरिमा और महिमा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। जब अदालत की कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी पर जूते जैसी कोई वस्तु फेंकी जाती है, तो इसका उद्देश्य केवल न्यायाधीश को बदनाम करना या अपमानित करना नहीं होता है, बल्कि संस्था को ही बदनाम करना होता है और इस तरह अदालत की नजर में इसकी गरिमा को कम करना होता है। सार्वजनिक "।

11. लीला डेविड (6) (ऊपर) को राम निरंजन 2 में फॉलो किया गया है। बिहार राज्य और अन्य। , (2014) 12 एस. सी. सी. 11 इस प्रकार हैः

“ 16. इस प्रकार, जब न्यायाधीश को बदनाम करने या अपमानित करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सामने अवमानना की जाती है, तो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। यदि अदालतें इस तरह की अवमानना से सख्ती से नहीं निपटती हैं, तो इसके परिणामस्वरूप संस्था को बदनाम किया जा सकता है जिससे जनता की नजर में इसकी गरिमा कम हो सकती है।

अदालतें लोगों के लिए होती हैं।

अदालतें न्यायपालिका के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय वकीलों के विश्वास को महत्व देती हैं

हस्तांतरण और सुधार v. भारत का संघ

लोगों में। उस विश्वास के क्षरण को रोकने के लिए, अदालत के सामने की गई अवमानना के लिए सख्त व्यवहार की आवश्यकता होती है। अपीलार्थी, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा, पश्चातापपूर्ण नहीं था। वह.

माफी मांगने के लिए कोई हलफनामा दायर नहीं किया और न ही उन्होंने मौखिक रूप से कहा

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह पश्चाताप कर रहा था और वह याचिका दायर करना चाहता था

क्षमा करें। इस अदालत में भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। इसलिए, चूंकि अवमानना घोर थी और यह उच्च न्यायालय के समक्ष की गई थी, इसलिए विद्वान न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर देने का कोई सवाल ही नहीं था।

रक्षा। इसलिए, अपीलार्थी का यह निवेदन होना चाहिए -

अस्वीकार कर दिया। "

12. आर. के. आनंद बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, (2009) 8 एस. सी. सी. 106, इस न्यायालय की एक न्यायाधीश पीठ ने कानून की जांच की और कहा किअधिवक्ता को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए न्यायालय में उपस्थित होने से प्रतिबंधित करना।

डी एक ऐसी सजा थी जिसे अवमानना में लगाया जा सकता था

बोलचाल। इस मुद्दे पर निर्णयों की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 238. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। [(1998) 4 एस. सी. सी. 409] एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अदालत में पेश होने से एक वकील को प्रतिबंधित करने वाले निर्देश को कानून का अभ्यास करने के उसके अधिकार के पूर्ण और पूर्ण इनकार के रूप में देखा गया और इस प्रतिबंध को उस पर लगाए गए दंड के रूप में माना गया। [हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पैरा 80 में। मामला [(1998) 4 एस. सी. सी. 409], जैसा कि पहले देखा गया है (इसमें पैरा 230 में), एक अवलोकन है कि किसी दिए गए मामले में इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए यह संभव हो सकता है कि अवमानना करने वाले अधिवक्ता को उसके समक्ष उपस्थित होने से रोका जाए जब तक कि वह खुद को अवमानना से मुक्त नहीं कर लेता।] पूर्व में। कैप्टन। हरीश उप्पल [(2003) 2 एस. सी. सी. 45] के रूप में नहीं देखा गया था पेशेवर दुराचार के लिए सजा लेकिन एक उपाय के रूप में

न्यायालयों की गरिमा और व्यवस्थित कार्यप्रणाली। हम सम्मानपूर्वक यह जोड़ सकते हैं कि किसी दिए गए मामले में आपराधिक अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए वकील को अदालत में पेश होने की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया जा सकता है। यह न केवल न्यायालयों की गरिमा और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए एक उपाय हो सकता है, बल्कि न्यायालय की आत्मरक्षा और न्यायालय की कार्यवाही की शुद्धता के संरक्षण के लिए भी आवश्यक हो सकता है। उदाहरण के लिए, आइए हम उस मामले को लें जहां एक वकील को न्यायाधीश के नाम पर या उसे प्रभावित करने के बहाने पैसे स्वीकार करते हुए दिखाया गया है; या जहां एक वकील को [2019] 5 एस. सी. आर. के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाया गया है।

अदालत का रिकॉर्ड; या जहाँ एक वकील सक्रिय रूप से लेते हुए पाया जाता है नकली अदालती आदेशों में भाग लेना (नकली जमानत आदेश अज्ञात नहीं हैं)

कई उच्च न्यायालय!) ; या जहाँ एक वकील ने इसे एक बना दिया है

न्यायाधीशों को धमकाने और दुर्व्यवहार करने का अभ्यास और उस आधार पर अर्जित किया है

एक "असुविधाजनक" से मामला स्थानांतरित करने की प्रतिष्ठा

न्यायालय; या जहाँ एक वकील को भेजने की आदत पाई जाती है

न्यायपालिका के खिलाफ निराधार और निराधार आरोप याचिकाएं

वरिष्ठ न्यायालयों के अधिकारी और न्यायाधीश। दुर्भाग्य से, ये

239. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि ये चित्र संपूर्ण नहीं हैं। लेकिन अन्य तरीके भी हो सकते हैं जिनमें एक अपराधी का आचरण और

कार्रवाई अदालत की शुद्धता के लिए एक वास्तविक और आसन्न खतरा पैदा कर सकती है

कार्यवाही, किसी भी अदालत के कामकाज के लिए कार्डिनल, इसके अलावा

एक मूल अपराध और न्यायालय की अवमानना का गठन करना और

पेशेवर दुर्व्यवहार। ऐसी स्थिति में अदालत नहीं करती है

केवल अधिकार है लेकिन उस पर यह दायित्व भी है कि

स्वयं की रक्षा करें और इसकी कार्यवाही की शुद्धता को सुरक्षित रखें।

किसी भी तरह से प्रदूषित और उस अंत तक अपराधी को रोकता है

उचित अवधि के लिए न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होना।

240. यह पहले से ही एक्स में समझाया गया है। कैप्टन। हरीश उप्पल [(2003) 2

एस. सी. सी. 45] कि न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्देश नहीं दिया जा सकता है पेशेवर दुराचार के लिए सजा के बराबर। इसके अलावा,

अदालतों में उपस्थिति के खिलाफ निषेध प्रभावित नहीं करता है

संबंधित वकील का अपना कानूनी अभ्यास जारी रखने का अधिकार

निर्णय में बताए गए अन्य तरीके। हम सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करते हैं

कि पूर्व में निर्णय। कैप्टन। हरीश उप्पल बनाम। भारत संघ

[(2003) 2 एस. सी. सी. 45] इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में रखता है और हमारे सामने प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए।

99

(जोर दिया गया)

13. इस तरह का आचरण कठोर दंड का पात्र है।

हम श्री नेदुमपारा को इस आदेश से ही दंडित कर सकते थे।

न्याय के लिए, हम श्री नेदुमपारा को नोटिस जारी करते हैं

चेहरे पर अवमानना करने के लिए उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए

ई कोर्ट। आज से दो सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य सूचना।

न्यायिक हस्तांतरण और सुधार के लिए राष्ट्रीय वकील शिविर v. भारत का संघ

14. यह निर्णय आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर महासचिव के माध्यम से इस देश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय बार काउंसिल और केरल के बार कंपनी को भेजा जाना है।

15. जहाँ तक रिट याचिका का संबंध है, रिट याचिका का सार, में रिपोर्ट किए गए हमारे फैसले की दूसरी समीक्षा चाहता है।

जयसिंह वी. महासचिव के माध्यम से भारत का सर्वोच्च न्यायालय। , (2017) 9 एससीसी 766। अन्यथा भी, यह तय कानून है कि एक आर 32 याचिका इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ नहीं है। हमारा यह भी विचार है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) एक प्रावधान हैः

जिसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है और एस अधिवक्ता का पदनाम इनाम या अधिकार के मामले के रूप में नहीं हो सकता है।

16. इन कारणों से रिट याचिका खारिज हो जाती है।

अंकित ज्ञान

रिट

पिटिशन डिसमिस